कार्यालय टिप्पणी

निगरानी पंचायत प्रकरण संख्या – 01/2017

दलीप राम बनाम सरपंच मन्नीवाली व जगदीश वगैरह

Web Copy - Not Official

04.07.2017 अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष को प्रारम्भिक आपत्तियों पर बहस सुनी गई।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि निगरानी प्रकरण संख्या 47/2016 जगदीश वगै. बनाम विकास अधिकारी व सरपंच में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2017 को निर्णय पारित कर निगरानीकर्त्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर विकास अधिकारी के आदेश दिनांक 23.04.2012 को निरस्त किया गया था तथा यह आदेश दिया गया था कि विकास अधिकारी तथ्य परख जांच कर यह सुनिश्चित करें कि निगरानीकर्त्तागण को जो पट्टे जारी किये गए है वे जोहड़ पायतन की भूमि पर है। ऐसा तथ्य प्रमाणित होने पर पृथक पृथक पट्टे के विरूद्ध निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें। विकास अधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 25.01.2017 की पालना नहीं की गई है और निगरानीकर्त्ता दलीप राम द्वारा पूर्व निगरानी में निगरानीकर्त्तागण को हस्तगत निगरानी में बतौर गैरनिगरानीकर्त्ता पक्षकार बनाकर एक ही निगरानी प्रस्तुत कर पट्टों को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा है। पूर्व में निर्णय दिनांक 25.01.2017 द्वारा पृथक पृथक निगरानी प्रस्तुत करने का निर्णय इस न्यायालय द्वारा लिया जा चुका है। अतः सभी अप्रार्थीगण के खिलाफ एक ही निगरानी से पट्टों का निरस्त करने की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः निगरानी इस स्टेज पर खारिज की जावे।

निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता ने इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2017 को पृथक पृथक निगरानी प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। हस्तगत निगरानी में विकास अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रस्तुत निगरानी के आधार पर ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जानी चाहिए।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावाली के अवलोकन से पाया गया कि निगरानी प्रकरण संख्या 47/2016 जगदीश वगै. बनाम विकास अधिकारी व सरपंच में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2017 को निर्णय पारित कर निगरानीकर्त्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर विकास अधिकारी के आदेश दिनांक 23.04.2012 को निरस्त किया गया था तथा यह आदेश दिया गया था कि विकास अधिकारी तथ्यपरक जांच कर यह सुनिश्चित करें कि निगरानीकर्त्तागण को जो पट्टे जारी किये गए है वे जोहड़ पायतन की भूमि पर है। ऐसा तथ्य प्रमाणित होने पर पृथक पृथक पट्टों के विरूद्ध निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें। विकास अधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 25.01.2017 की अभी तक पालना नहीं की गई है और निगरार्नीकर्त्ता दलीप राम द्वारा पूर्व निगरानी में निगरानीकर्त्तागण को हस्तगत निगरानी में बतौर गैरनिगरानीकर्त्ता पक्षकार बनाकर एक ही निगरानी प्रस्तुत कर उन्हीं को जारी पट्टों को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा है जबकि पूर्व में निर्णय दिनांक 25.01.2017 द्वारा पृथक पृथक निगरानी प्रस्तुत करने का निर्णय इस न्यायालय द्वारा लिया जा चुका है। अतः सभी अप्रार्थीगण के खिलाफ एक ही निगरानी से पट्टों का निरस्त करने की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक आपत्तियों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, निगरानी इस स्टेज पर खारिज की जाती है।

विकास अधिकारी, सादुलशहर को पूर्व निर्णित निगरानी के अनुसरण में निर्देश दिये जाते है कि वे इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण संख्या

सुनी गई।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि निगरानी प्रकरण संख्या 47/2016 जगदीश वगै. बनाम विकास अधिकारी व सरपंच में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2017 को निर्णय पारित कर निगरानीकर्त्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर विकास अधिकारी के आदेश दिनांक 23.04.2012 को निरस्त किया गया था तथा यह आदेश दिया गया था कि विकास अधिकारी तथ्य परख जांच कर यह सुनिश्चित करें कि निगरानीकर्त्तागण को जो पट्टे जारी किये गए है वे जोहड़ पायतन की भूमि पर है। ऐसा तथ्य प्रमाणित होने पर पृथक पृथक पट्टे के विरूद्ध निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें। विकास अधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 25.01.2017 की पालना नहीं की गई है और निगरानीकर्त्ता दलीप राम द्वारा पूर्व निगरानी में निगरानीकर्त्तागण को हस्तगत निगरानी में बतौर गैरनिगरानीकर्त्ता पक्षकार बनाकर एक ही निगरानी प्रस्तुत कर पट्टों को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा है। पूर्व में निर्णय दिनांक 25.01.2017 द्वारा पृथक पृथक निगरानी प्रस्तुत करने का निर्णय इस न्यायालय द्वारा लिया जा चुका है। अतः सभी अप्रार्थीगण के खिलाफ एक ही निगरानी से पट्टों का निरस्त करने की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः निगरानी इस स्टेज पर खारिज की जावे।

निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता ने इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2017 को पृथक पृथक निगरानी प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। हस्तगत निगरानी में विकास अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रस्तुत निगरानी के आधार पर ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जानी चाहिए।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावाली के अवलोकन से पाया गया कि निगरानी प्रकरण संख्या 47/2016 जगदीश वगै. बनाम विकास अधिकारी व सरपंच में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2017 को निर्णय पारित कर निगरानीकर्त्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर विकास अधिकारी के आदेश दिनांक 23.04.2012 को निरस्त किया गया था तथा यह आदेश दिया गया था कि विकास अधिकारी तथ्यपरक जांच कर यह सुनिश्चित करें कि निगरानीकर्त्तागण को जो पट्टे जारी किये गए है वे जोहड़ पायतन की भूमि पर है। ऐसा तथ्य प्रमाणित होने पर पृथक पृथक पट्टों के विरूद्ध निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें। विकास अधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 25.01.2017 की अभी तक पालना नहीं की गई है और निगरानीकर्त्ता दलीप राम द्वारा पूर्व निगरानी में निगरानीकर्त्तागण को हस्तगत निगरानी में बतौर गैरनिगरानीकर्त्ता पक्षकार बनाकर एक ही निगरानी प्रस्तुत कर उन्हीं को जारी पट्टों को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा है जबकि पूर्व में निर्णय दिनांक 25.01.2017 द्वारा पृथक पृथक निगरानी प्रस्तुत करने का निर्णय इस न्यायालय द्वारा लिया जा चुका है। अतः सभी अप्रार्थीगण के खिलाफ एक ही निगरानी से पट्टों का निरस्त करने की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक आपत्तियों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, निगरानी इस स्टेज पर खारिज की जाती है।

विकास अधिकारी, सादुलशहर को पूर्व निर्णित निगरानी के अनुसरण में निर्देश दिये जाते है कि वे इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण संख्या 47/2016 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2017 की पालना हेतु सम्पूर्ण कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति विकास अधिकारी, सादुलशहर एवं ग्राम पंचायत मन्नीवाली को प्रेषित की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/07/17

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

64-7-2011-2,00,000 F.